


आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायल संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।


--:: आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम भाकरवास पटवार हल्का सांगावास में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 8.4741 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 37 रकबा 2.8085 हैक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.4694 हेक्टर किस्म चाही सोयम, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.1052 हैक्टर किस्म गैरमुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0081 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकीन सैरिया का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)